कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

भूमि की पर्याप्तता का प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य हिंगलोत से मदनाखेड़ी वाया बीसनखेड़ा

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि सडक परियोजना के लिए पर्याप्त है, भविष्य में कोई अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

न्यूनतम भूमि की अण्डरटेकिंग

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य हिंगलोत से मदनाखेड़ी वाया बीसनखेड़ा

प्रमाणित किया जाता है कि सडक निर्माण के लिए वन विभाग की न्यूनतम भूमि (2.27 हैक्टेयर) चाही गयी है।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

<u>वर्तमान प्रचलित दर (एन.पी.वी.) की अण्डर टेकिंग</u>

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य हिंगलोत से मदनाखेड़ी वाया बीसनखेड़ा

इस परियोजना हेतु 2.27 हैक्टेयर वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो एन.पी.वी. राज्स सरकार द्वारा निर्धारित की जावेगी, नियमानुसार देय होगी। एवं सा.नि.वि. उक्त राशि जमा करा देगा।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

<u>वचन बद्धता का प्रमाण–पत्र</u>

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य हिंगलोत से मदनाखेड़ी वाया बीसनखेड़ा

प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ – साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गेई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सा.नि.वि. देने को तैयार होगें।

अधिशाषी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

<u>अण्डर टेकिंग</u>

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य हिंगलोत से मदनाखेड़ी वाया बीसनखेड़ा

यह प्रमाणित किया जाता है कि न्यूनतम श्रमिक दर बढने से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि में बढोतरी होती है तो उसका भुगतान सा.नि.वि. द्वारा कर दिया जाएगा।

अधिशाषी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

प्रमाण – पत्र

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य हिंगलोत से मदनाखेड़ी वाया बीसनखेड़ा

प्रमाणित किया जाता है कि जिस वन भूमि को सडक निर्माण के काम में लिया जावेगा इसे अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में नयी स्वीकृत सडक बनाई जावेगी।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

अण्डरटेकिंग

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य हिंगलोत से मदनाखेड़ी वाया बीसनखेड़ा

सडक निर्माण में जो सामग्री उपयोग में ली जावेगी वो वन क्षेत्र से नहीं ली जावेगी चाहे वो बोरो पिट हो।

वन विभाग को समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध करा दी जावेगी।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

मार्ग के वन भूमि से गुजरने का प्रमाण – पत्र

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य हिंगलोत से मदनाखेड़ी वाया बीसनखेड़ा

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सडक वन क्षेत्र से गुजरती है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात ही उक्त सडक का निर्माण कराया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में नयी स्वीकृत सडक बनाई जावेगी।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा